

16/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/11/22
की पेश हो।

4/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान्
पीठासीन अधिकारी महोदय, दोसरे में है।

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/12/22 को पेश हो।

23/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान्
पीठासीन अधिकारी महोदय, दोसरे में है।

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/01/23 को पेश हो।

24/01/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
व्यवसाय वकील प्राप्ति सूनी गयी। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रा
पत्र मूल वाद का अंग है, और मूल
वाद खारिज होकर निस्तारित हो चुका
है। ऐसी स्थिति में प्राप्ति चलाने
का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
अतः प्राप्ति खारिज किया जाता है।
पत्रावली केवल शुमार होकर मूल
वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

